तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.03.2026	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी, अभियोजन अधिकारी एवं प्रवर्तन अधिकारी पैरोकार सरकार उपस्थित। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने जब्तशुदा वाहन की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताते हुए जमानत एवं सुपुर्दगी पर, न्यायालय द्वारा विहित शर्तों पर वाहन संख्या RJ 09 GD 5329 बोलेरो पिकअप को वाहन स्वामी को सुपुर्द करने हेतु निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी एवं पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बोलेरो पिकअप वाहन संख्या RJ 09 GD 5329 के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज पेश किए लेकिन वाहन को रिलिज करने पर पुनः अवैध कारोबार में काम लेने की पूर्ण सम्भावना है। अतः जब्तशुदा वाहन को सुपुर्द नहीं किया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दस्तावेजों के आधार पर निवेदन किया कि उक्त जब्तशुदा वाहन RJ 09 GD 5329 बोलेरो पिकअप प्रार्थी श्री प्रहलाद पिता नारायणलाल कुमावत निवासी पंचदेवला, तहसील भदेसर के नाम रजिस्टर्ड है साथ ही थानाधिकारी, थाना भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ ने भी जब्तशुदा वाहन RJ 09 GD 5329 की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया है। प्रकरण में उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। उपलब्ध रिकार्ड से निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि जब्तशुदा वाहन RJ 09 GD 5329 बोलेरो पिकअप का स्वामित्व प्रार्थी का है एवं जब्तशुदा वाहन RJ 09 GD 5329 बोलेरो पिकअप की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया है। अतः जब्तशुदा वाहन RJ 09 GD 5329 बोलेरो पिकअप को राशि 09,00,000/- अक्षरे नौ लाख रूपये के जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर विधिक स्वामी को सौंपे जाने के आदेश दिए जाते हैं। सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	